न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री सूर्यकान्त शर्मा RAS

अनुवान बलवंती देवी **बनाम** सांवरमल आदि

वाद संख्या 08 वर्ष 2018

दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

निर्णय दिनांक:– 5.7.2024

1. बलवंती देवी धर्म पत्नी गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू
2. पवन कुमार पुत्र मलुराम जाति कुम्हार निवासी तारानगर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. सांवरमल पुत्र जादुराम जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू
2. शकुन्तला पत्नी ओमप्रकाश जाति सरावगी निवासी तारानगर जिला चूरू (Deleted)
3. राजबाला पत्नी सत्यनारायण जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर (Deleted)
4. ऋषि कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू
5. कलावती देवी पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू
6. नरेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू
7. गणेश कुमार पुत्र मागीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू
8. कृष्णा पुत्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू
9. मुस्तकीम पुत्र उमरदीन जाति लुहार निवासी तारानगर जिला चूरू
10. मुजामिल खां पुत्र उमरदीन जाति लुहार निवासी तारानगर जिला चूरू
11. रणजीत सिंह पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

12 सुशील कुमार पुत्र संतलाल जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू (Deleted)

13. तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

13A पंकज देवी शर्मा पत्नी मनोहर लाल जाति ब्राह्मण निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर(चूरू)

13B औमप्रकाश पत्र सन्तलाल जाति सरावगी निवासी तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

14. मैनेजर बी.ओ. बी. शाखा तारानगर जिला चूरू
15. मैनेजर ओ.बी.सी. शाखा तारानगर जिला चूरू
16. मैनेजर पी.एन.बी. शाखा तारानगर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री अनिल कुमार तारानगर एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 1 वं 13B
3. श्री महेन्द्र यादव एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 4
4. श्री लक्ष्मीनारायण एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 11
4. श्री योगेश स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 13A

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू.

—: निर्णय :—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत की दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषिभूमि खेत खसरा नं. 723 तादादी 3—04 बीघा, खसरा न. 266 तादादी 12—06 बीघा, खसरा नं. 267 तादादी 12—12 बीघा कुल तादादी 24—18, खसरा नं. 816/268 तादादी 8—04 बीघा कुल तादादी 36—06 बीघा रोही तारानगर में वाके है। यही विवादित कृषिभूमि है। वादीनी खसरा नं. 723 तादादी 3—4 बीघा में 1/3 हिस्सा, खसरा नं. 266 तादादी 12—06 बीघा, खसरा नं. 267 तादादी 12—12 कुल 27—18 बीघा में 1/8 हिस्सा है खसरा नं. 816/268 तादादी 8—04 बीघा में 1/3 हिस्सा कुल तादादी 6—18 बीघा की वादीनी सं. 1 खातेदार है तथा वादी सं. 2 पवन कुमार खसरा नं. 723 तादादी 3—04 बीघा में 0—01 बीघा, खसरा नं. 266 तादादी 12—06 बीघा, खसरा नं. 267 तादादी 12—12 बीघ कुल 27—18 बीघा में 1/8 हिस्सा, खसरा नं. 816/268 तादादी 8/04 बीघा में 35 विश्वा कुल 4—18 बीघा का खातेदार काश्तकार है।

वादीगण अपनीकृषिभूमि की काश्त करते है एवं कब्ज़ा है। शामिलाती खातेदारी होने के कारण अपनी भूमि से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। काश्त के समय मनमुटाव व तनाजा रहता है इस कारण वादीगण अपने हक व हिस्से की कृषिभूमि का खाता अलग करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वो अपने अपने हिस्से के अनुसार विधिक रूप से खाता अलग करवा लेवें। प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे। अखिर दिनांक 15.12.2017 को बमुकाम तारानगर में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादीगण को विवादित कृषिभूमि में खातेदार होने से प्राप्त है। आदि—आदि। इस प्रकार वादीगण ने विवादित कृषिभूमि में से अपने अपने हिस्सा भूमि का खाता अलग अलग विभाजित कराने का अनुतोष चाहा।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का वकालतनामा एडवोकेट श्री अनिल स्वामी तारानगर व प्रतिवादी संख्या 11 का वकालतनामा एडवोकेट श्री लक्ष्मीनारायण सहारण ने पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, 8 ता 10, 12, 14 ता 16 रजि. सम्मन तामिल होने के बावजुद भी उपस्थित नहीं आये अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वकील वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 7 की तलबी हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 17 सी.पी.सी. पेश किया जो वाद सुनवाई स्वीकार किया तथा उक्त प्रतिवादी संख्या 7 की सामान्य तलबी कराने के आदेश दिये गये। वकील वादी द्वारा उक्त प्रतिवादी का सम्मन तलवाना पेश किया। इसके सम्मन तलवी हेतु तहसीलदार तारानगर को इस निर्देश के साथ भिजवाये कि इसकी तलबी, व्यक्तिशः करावें इसके न मिलने पर परिवार के बालिग सदस्य पर,

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

इस पर भी संभव न हो तो दो गवाहो के समक्ष चस्पादगी से तामिल करावें। उक्त प्रतिवादी का सम्मन विधिवत तामिल होने के बाद भी यह अनुपस्थित रहा। अतः इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने दिनांक 15.03.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 12 क्रमशः शकुन्तला, राजबाला व सुशील कुमार के नाम दावा से डिलिट करने के आदेश दिये गये तथा वर्तमान खातेदार व दावा के आवश्यक पक्षकार औमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति सरावगी निवासी तारानगर व श्रीमती पंकज देवी पत्नी मनोहरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर को क्रमशः दावा के प्रतिवादी 13A व 13B संयोजित किया गया। अंकन लाल स्याही से कराया गया।

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 1, 11, 13A व 13B अपने अपने हिस्से तक की भूमि का विभाजन प्रस्ताव मंगाने में सहमत हुये। चूंकि दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः उक्त अधिवक्तागणों के निवेदन पर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार तारानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार तारानगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 4 का वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एडवोकेट श्री महेन्द्र कुमार यादव ने पेश किया। वकील वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अनापति जाहिर की गई। बाद सुनवाई यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही आदेश दिनांक 09.02.2023 अपास्त कर इसे जवावदेही का अवसर दिया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश कर अपना हक हिस्से तक अपने हिस्से का विभाजन चाहा तथा नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 4 के उक्त प्रार्थना पत्र के अन्य पक्षकारो के कोई एतराज नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा तहसीलदार तारानगर को वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1, 11 13A व 13B के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा तक की भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार तारानगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील वादीगण, वकील प्रतिवादी संख्या 4, 13A व 13B ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 11 ने विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध ऐतराज पेश करने हेतु समय चाहा। उक्त प्रतिवादीगण को कोई एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12.06.2024, दिनांक 19.06.2024 तथा दिनांक 21.06.

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

2024 को अवसर दिया गया फिर भी ऐतराज पेश नहीं किया गया। अतः इनका विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध एतराज प्रार्थना पेश करने का अवसर बन्द किया गया।

बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को वकील वादीगण, वकील प्रतिवादी संख्या 4, 13A व 13B ने सही होना स्वीकार किया हैं। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 11 को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी इनकी तरफ से कोई एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हक हिस्सा तक की भूमि का होना पाया गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 4, 11, 13A व 13B विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। ऐसे में वे अपने हक हिस्सा तक की भूमि का खाता विभाजन अलग से करवाने के अधिकारी हैं। अतः मैं वादीगण का वाद तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक अन्तिम डिक्री करने योग्य पाता हूं।

अतः वाद वादीगण बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर के खसरा नं. 723 तादादी 0.8093 हैक्टेयर, खसरा न. 266 तादादी 03.1107 हैक्टेयर, खसरा नं. 267 तादादी 03.1865 हैक्टेयर, खसरा नं. 816/268 तादादी 02.0738 हैक्टेयर कुल तादादी 09.1803 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है कि :-

(1) कृषि भूमि रोही तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 723 मीन तादादी 0.2698 हैक्टेयर, खसरा नं. 267 मीन तादादी 0.7871 हैक्टेयर, खसरा नं. 816/268 मीन तादादी 0.6913 हैक्टेयर, कुल तादादी 01.7482 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग हरा से दर्शाया गया है, वादी संख्या 01 बलवंती देवी धर्म पत्नी गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(2) कृषि भूमि रोही तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 723 मीन तादादी 0.0168 हैक्टेयर, खसरा नं. 816/268 मीन तादादी 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं. 267 मीन तादादी 0.7871 हैक्टेयर कुल तादादी 01.2465 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया है, वादी संख्या 02 पवन कुमार पुत्र मलुराम जाति कुम्हार निवासी तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(3) कृषि भूमि रोही ग्राम तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 816/268 मीन तादादी 0.6912 हैक्टेयर, खसरा नं. 267 मीन तादादी 0.7871 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

में बरंग लाल से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 सांवरमल पुत्र जादुराम जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(4) कृषि भूमि रोही तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 267 मीन तादादी 0.3937 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग कॉफी से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 4 ऋषि कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(5) कृषि भूमि रोही तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 723 मीन तादादी 0.2698 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग पीला से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 11 रणजीत सिंह पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(6) कृषि भूमि रोही तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 816/268 मीन तादादी 0.2487 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग आसमानी से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 13A पंकज देवी शर्मा पत्नी मनोहरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झोथडा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(7) कृषि भूमि रोही तारानगर जिला चूरू के खसरा नं. 723 मीन तादादी 0.2529 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग नीला से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 13 B औमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति सरावगी निवासी तारानगर (चूरू) के हक हिस्सा में रहेगी।

(8) वाकी मान्दा बदस्तुर जमाबन्दी रहेगा। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। जिन पक्षकारों का हिस्सा बैंक के रहन हैं वे बैंक के यथावत रहन रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 5.7.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)